



जिला

गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण अंक
संख्या - 11/2009

विक्रम संवत् 2066

10(कू0) आश्विन 1931 (शा0)

जमशेदपुर, सोमवार : 14/09/2009

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग की अधिसूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. जिला भू-अर्जन विभाग से संबन्धित आम सूचना।

01 - 03

झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना

संख्या-171/मू0अ0

दिनांक:- 27.08.09

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को यह प्रतिष्ठित होता है कि ग्राम-हुडुंगबिल, थाना संख्या-105, थाना-घाटसिला, परगना-धालभूम, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम-हुडुंगबिल में सम्पर्क पथ निर्माण हेतु सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये पूर्वोक्त ग्राम-हुडुंगबिल के भीतर कमोवेश-बीघा-कटा-छटाक-धूर जो मानक माप से कमोवेश 0.31 एकड के बराबर होता है, एक भू-खण्ड अपेक्षित है जिसका कुल खेसरो की संख्या 1 है। जिसकी अधीकृत खेसरो की संख्या एवं चौहददी निम्नांकित है-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या- 1018/अंश

चौहददी

उत्तर- 262 (रास्ता)

दक्षिण- 1020 (रास्ता)

पुरब- 1018/अंश

पश्चिम- 1020 (रास्ता)

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो। उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में देखा जा सकेगा।

लगातार- 2

(2)

अपर उपायुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसाधन में तत्समय लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिला होने के 30 दिनों के भीतर धारा- 5(ए) के अन्तर्गत संबंध व्यक्तियों द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन संबंधी आपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

जिला भू-अर्जन पदा०,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना

संख्या- 172/मू0अ0

दिनांक:- 27.08.09

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को यह प्रतित होता है कि ग्राम-कांकडशोल, थाना संख्या-1116, थाना-घाटसिला, परगना-धालभूम, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम-पोडाडीह से नारायणपुर तक सम्पर्क पथ निर्माण हेतु सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये पूर्वोक्त ग्राम-कांकडीशोल के भीतर कमोवेश-बीघा-कटा-छटाक-धूर जो मानक माप से कमोवेश 0.49 एकड के बराबर होता है, एक भू-खण्ड अपेक्षित है जिसका कुल खेसरो की संख्या 5 है। जिसकी अधीकृत खेसरो की संख्या एवं चौहददी निम्नांकित है-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या- 435, 437, 439, 449 एवं 448

चौहददी

उत्तर- 433, 434, 440

दक्षिण- 526, 425, 436, 437/अंश, 451, 450, 448/अंश

पुरब- नाला

पश्चिम- रास्ता

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो। उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में देखा जा सकेगा।

लगातार- 3

(3)

अपर उपायुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसांघन में तत्समय लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिला होने के 30 दिनों के भीतर धारा- 5(ए) के अन्तर्गत संबंध व्यक्तियों द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन संबंधी आपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

जिला भू-अर्जन पदा०,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।